काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
BANARAS HINDU UNIVERSITY

कुलसचिव कार्यालय
सामान्य प्रशासन
Office of the Registrar
General Administration

पत्रांक–आर / जीएडी / विविध / 45 /

दिनांक – 09 अगस्त, 2019

## अधिसूचना

**विषय :– भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन– के संबंध में।**

कृपया अवर सचिव, गृह मंत्रालय, पब्लिक अनुभाग, भारत सरकार द्वारा उपरोक्त विषयक प्रेषित पत्रांक 15 / 1 / 2019–पब्लिक, दिनांक–01 अगस्त, 2019 (छायाप्रति संलग्न है), का आवलोकन किया जाय, जो स्वयं में स्पष्ट है।

उपरोक्त के आलोक में कुलपति महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक / अधिकारी / छात्र एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि भारतीय झंडा संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक पृष्ठ भाग पर।

संयुक्त कुलसचिव
(सामान्य प्रशासन)

पत्रांक–आर / जीएडी / विविध / 45 / 23253 / 23263 ;तद् दिनांक – 09.08.2019

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त संस्थानो के निदेशक / समस्त संकायों के संकाय प्रमुख / विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष / अनुभाग / इकाई,
2. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी
3. प्राचार्या, महिला महाविद्यालय
4. समस्त विद्यालयों / कालेज के प्राचार्य / प्राचार्या,
5. समस्त समन्वयक / प्रशासनिक संरक्षक / संरक्षक,
6. आचार्या प्रभारी, रा.गा.द.प. (बरकछा),
7. मुख्य आरक्षाधिकारी,
8. वित्ताधिकारी,
9. छात्र अधिष्ठाता,
10. डॉ0 के0पी0 उपाध्याय, वरिष्ठ सलाहकार (प्रशासन, वित्त एवं परीक्षा)
11. अधीक्षण अभियन्ता, विश्वविद्यालय निर्माण विभाग,
12. परीक्षा नियंता,
13. समन्वयक, संगणक केन्द्र को इस निवेदन के साथ प्रेषित की उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वैबसाइट पर अपलोड करें।
14. समस्त स्कूलों / केन्द्रों के समन्वयक,
15. चिकित्सा अधीक्षक, सर सुन्दरलाल चिकित्सालय,
16. आचार्य प्रभारी, ट्रॉमा सेन्टर, चिकित्सा विज्ञान संस्थान
17. सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी,
18. समस्त संयुक्त कुलसचिव / उप–कुलसचिव / सहायक कुलसचिव / हिंदी अधिकारी / विधि अधिकारी,
19. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं जल आपूर्ति विभाग,
20. सहायक कुलसचिव एवं कुलपति जी के सचिव,
21. प्रशिक्षण एवं स्थानन अधिकारी
22. समस्त छात्र सलाहकार,
23. कुलसचिव के वैयक्तिक सहायक,

**काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।**

संयुक्त कुलसचिव
(सामान्य प्रशासन)

केन्द्र / Computer Centre
डायरी सं0/Diary No. 1249
दिनांक/Date 12.8.19

Varanasi 221005, UP, INDIA
T : 91-542-2368903,
F: 91-542-2369100
Web : www.bhu.ac.in

BHU 150 YEARS OF CELEBRATING
स्वच्छ भारत

(13)

तत्काल

संख्या 15/1/2019-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग

* * *

नॉर्थ ब्लॉक ,नई दिल्ली -1
दिनांक : 1 अगस्त, 2019

सेवा में ,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन - के संबंध में।

\- - -

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए, इसे सम्मान की स्थिति मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक सार्वभौमिक लगाव और आदर तथा वफादारी होती है। तथापि, राष्ट्रीय झंडे के संप्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, अभ्यास तथा परंपराओं के संबंध में जनता के साथ-साथ भारत सरकार के संगठनों/एजेंसियों में भी जागरूकता का अभाव देखा गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 जो राष्ट्रीय ध्वज के संप्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं, में से प्रत्येक की एक प्रति, उक्त अधिनियम तथा झंडा संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों के कड़ाई से अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न की जाती है (राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर भी उपलब्ध हैं)। आपसे यह अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में वृहद जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं तथा इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से वृहद प्रचार किया जाए।

2. इसके अलावा इस मंत्रालय के संज्ञान में यह लाया गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर कागज के झंडों के स्थान पर प्लास्टिक के झंडों का प्रयोग भी किया जा रहा है। चूंकि, प्लास्टिक से बने झंडे कागज के समान जैविक रूप से अपघट्य (bio-degradable) नहीं होते हैं, ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं और प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का सम्मानपूर्वक उचित निपटान सुनिश्चित करना भी एक व्यावहारिक समस्या है। अत: आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय

केवल कागज से बने झंडों का ही प्रयोग किया जाए तथा समारोह के पूरा होने के पश्चात ऐसे कागज के झंडों को न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाय। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाय। अत: आपसे यह भी अनुरोध है कि प्लास्टिक से बने झंडे का उपयोग न करने संबंधी व्यापक प्रचार इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के साथ किया जाए।

भवदीय,

संलग्नक - यथोपरि

दीपक कुमार 01/08/2019
(दीपक कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23092421

प्रति प्रेषित -:

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
10. सभी उच्च न्यायालय।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
16. 5 अतिरिक्त प्रतियां।

दीपक कुमार 01/08/2019
(दीपक कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार